न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

मिसल न0– 35/2021

अनवान :–

1. भागु पुत्र सोहनाराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ। प्रार्थी/सायल

बनाम्

1. मोमन पुत्र हरलाल जाति नाई निवासी लाखासर तहसील नोहर जिला हनुमागनढ।
2. मोहनलाल पुत्र कासीराम जाति जाट साकिन ललानिाया तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

गैरसायल/अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री मदन मोहन जोशी अविक्ता सायल
श्री रविन्द्र कुमार गोदारा, अभिभाषक, गैरसायल

निर्णय दिनांक : 02/06/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मोजा ललानिया के खाता संख्या 92/78 के खसरा न0 258/1 की 5.0600हैक एव रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 227/208 के खसरा न0 258/2 की 0.4810हैक भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 230/211 के खसरा न0 257 की 2.6060हैक का अप्रार्थी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है एव रोही मोजा ललानिया के खाता संख्या 115/101 के खसरा न0 248/2 की 1.9990हक , खसरा न0 256/1 की 0.1260हैक भूमि खसरा न0 281/4 की 1.0120हैक खसरा न0 67/1 की 1.1390हैक कुल 4.2760हक भूमि जिसके अप्रार्थी संख्या 2 खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी अपने खेत रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 92/78 के खसरा संख्या 258/1 की 5.0600हैक एव रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 227/208 के खसरा न0 258/2 की 0.4810हैक भूमि में जाने के लिये खसरा न0 256/1 व 257 में पश्चिम सीव से उतर–दक्षिण आवागमन करता है तथा खसरा न0 256/1 से ललानिया को रास्ता जाता है उक्त रास्ता से होकर खसरा न0 256/1 से 257 में पश्चिम से उतर दक्षिण सीव होकर अपने खेत में प्रवेश करता है सदामत से प्रार्थी इसी रास्ता का उपयोग करता आ रहा है जो सुविधाजनक एव छोटा रास्ता है प्रार्थी खसरा न0 256/1 व 257 के पश्चिम सीव उतर से दक्षिण खसरा न0 258/2 तक 1–1 गठठा रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है।

उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत होकर दर्ज नही है केवल आवागमन कर रहा है प्रार्थी उक्त रास्ता को कभी भी बन्द कर सकता है जिससे प्रार्थी/सायल अपनी भूमि में जाने से वंचित हो जावेगा इसलिये प्राथ्री सदामत से चालू रास्ता को स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 115/101 के खसरा न0 256/1 व खाता संख्या 230/211 के खसरा न0 257 की पश्चिम तरफ की सीव में उत्तर से दक्षिण खसरा न0 258/1 यानि प्रार्थी के खेत तक एक एक गठठा रास्ता स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी/सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायल संख्या 1 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.16 18:00:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पक्षिय कार्यावाही की गई गेरसायल संख्या 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर प्रार्थी/सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया की प्रार्थना पत्र 251 क के मापदण्डो को पुरा नही करता है सायल ने अपनी गेरखातेदारी भूमि खसरा न0 258/1 के लिये रास्ता चाहा गया है जिस भूमि मे से होकर रास्ता चाहा गया है वह भूमि खसरा न0 257 जो की गैरखातेदारी गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज है जो की सरकारी भूमि की श्रेणी में आती है जिसमें भूमिधारी तहसीलदार नोहर हे जो की मुख्य पक्षकार है जिनका मुख्य पक्षकार की हैशियत से पक्षकार नही बनाया गया है इसलिये प्रार्थना पत्र मेन्टेबल नही है भू अभिलेख निरीक्षक जबरासर द्वार दिनांक 05.05.2025 को उक्त भूमि बाबत कही नही दर्शाया गया की जिसे में से रास्ता चाहा गया है व जिस भूमि बाबत रास्ता चाहा गया है गैरखातेदारी सरकारी भूमि है रिपोर्ट अधुरी है रिपोर्ट बिना दस्तावेजात के अवलोकन किये तेयार की गई है।

प्रार्थना पत्र 251 क राजस्थान काश्तकार अधिनियम में प्रथमतया अत्यन्त आवश्यकता रास्ता की होना आवश्यक है जो की प्रार्थना पत्र गेरखातेदारी भूमि सायल की है जिसे बिना खातेदारी हक प्राप्त किये अन्यन्त आवश्यता का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अतः प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नही होने गैरसायल संख्या 2 के खेत में से चाहे गये रास्ते की खातेदारी की भूमि तक निरन्तर /पहुचने के अभाव में प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी /गैरसायल संख्या 2 का जबाब शामिल मिसल किया गया तहसीलदार नोहर से मौका रिपोर्ट ली जाकर शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों को सुना गया ।

प्रार्थी /सायल ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया की प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन करने के लिये कोई स्वीकृत रास्ता नही है सायल अपनी खातेदारी भूमि में खसरा न0 256/1 से ललानिया को रास्ता जाता है उक्त रास्ता से होकर खसरा न0 256/1 से 257 में पश्चिम से उतर दक्षिण सीव होकर अपने खेत में आवागमन करता आ रहा है जिसे स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

अप्रार्थी संख्या/गैरसायल संख्या 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थना पत्र 251 क के मापदण्डो को पुरा नही करता है सायल ने अपनी गेरखातेदारी भूमि खसरा न0 258/1 के लिये रास्ता चाहा गया है जिस भूमि मे से होकर रास्ता चाहा गया है वह भूमि खसरा न0 257 जो की गैरखातेदारी गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज है जो की सरकारी भूमि की श्रेणी में आती है जिसे मौका रिपोर्ट में भी स्पष्ट नही किया गया है ना ही प्रार्थी/सायल को रास्ते की आवश्यकता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नही होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 92/78 के खसरा न0 258/1 की 5.0600हैक भूमि बतौर खातेदार काश्तकार प्रार्थी के नाम दर्ज है व खाता संख्या 227/208 के खसरा न0 258/2 की 0.4810हैक भूमि बतौर गैरखातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 230/211 के खसरा न0 257 की 2. 6060हैक भूमि गेरसायल संख्या 1 के नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज है तथा रोही मोजा ललानिया के खाता संख्या 115/101 क[illegible].2760हैक भूमि बतौर खातेदार काश्तकार गैरसायल संख्या 2 के ना[illegible] है।

प्रार्थी/सायल का कथन है [illegible] भूमि मे स्वीकृत व चालू ललानिया – सांगठिया रास्ता खसरा न0 68 से खसरा [illegible] 256 व 257 के पश्चिम सीव से उतर से दक्षिण होकर अपनी भूमि में पहुचता है गैरसायल संख्या 2 को विरोध है कि प्रार्थी ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.16 18:00:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गैरखातेदारी भूमि अर्थात सरकार भूमि में से रास्ता चाहा गया है जो नही दिया जा सकता है।

सायल का कथन अपनी भूमि में जाने के लिये रास्ता चाहा गया है उचित है गैरसायल संख्या 2 का कथन स्वीकार योग्य नही है क्योकि रास्ता राजकीय भूमि में भी दिया जा सकता है तथा सायल /प्रार्थी ने गैरखातेदारी भूमि जो गैरसायलान के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज में से रास्ता चाहा गया है जो दिया जा सकता है।

यहॉ यह उल्लेखनिय है कि किसी भी काश्तकार को राजकीय भूमि आवंटन की जाती है तो उपनिवेश्न के नियमों के अनुसार पहले गैरखातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तत्पश्चात उपनिवेशन नियमों के तहत है खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाती है।

प्रार्थी अपनी भूमि खसरा न0 258/2 व 258/1 में जाने के लिये रोही मौजा ललानिया के खसरा न0 257 की भूमि जो राजस्व रिकार्ड में गैरसायल संख्या 1 के नाम गैरखातेदारी दर्ज है में से एव खसरा न0 256 /1 जो गैरसायल संख्या 2 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है की पश्चिम सीव से उतर से दक्षिण रास्ता चाहा गया है उचित है

गैरसायल संख्या 2 का विरोध गैरखातेदारी भूमि में से रास्ता नही दिया जा सकता है नियमुनसार राजकीय भूमि में भी रास्ता दिया जा सकता है प्रार्थी के द्वारा जहा से रास्ता चाहा गया है वह भूमि गैरखातेदारी है में से रास्ता स्वीकृत कर सम्बधित काश्तकार के खाते में बतौर रास्ते के रूप में दर्ज किया जा सकता है।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोट के अनुसार प्रार्थी वर्तमान में खाली पडे खेतों से होकर अपनी खेत में जा रहा है प्रार्थी के निकटतम दुरी से ग्राम ललानिया से सांगठिया जोने वाला कच्चा रास्ता खसरा न0 28 जो राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज है तथा प्रार्थी के खेत के लिये उक्त ललानिया – सांगठिया रास्ता से खसरा न0 256/1 व 257 में से प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता उचित रहेगा इस रास्ता के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है ना ही उपलब्ध है।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट के अनुसार भूमि प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता उचित व सुविधाजन है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी की भूमि में आवागमन करने के लिये नही है।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता मौका रिपोर्ट अनुसार दिया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मौका रिपोर्ट/साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 115/101 के खसरा न0 256/1 एव खाता संख्या 230/211 के खसरा न0 257 की पश्चिम तरफ की सीव में उतर से दक्षिण खसरा न0 258/1 यानी प्रार्थी के खेत तक एक एक गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा खसरा न0 257 में रास्ता सम्बधित काश्तकार के खाते में ही रास्ते के रूप में दर्ज किया जावेगा तथा खसरा 256/1 मे रास्तें में जीतनी भूमि आती है उतनी भूमि की डीएलसी दर प्रथम से राशि प्रार्थी गेरसायल संख्या 2 को देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेत तहसीलदार नोहर को आदेश जारी किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02/06/25 को मेरा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.16 18:00:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)